



# नगर निगम दक्षिण, जोधपुर

पोलीटेक्नीक कॉलेज परिसर के अन्दर, गौरव पथ, जोधपुर

JC

क्रमांक- 8386

दिनांक- 29/07/2020  
I.B.T.(B) 49 / 2020-21

श्री कमल किशोर काबरा पुत्र श्री रामसूर्य काबरा  
मूलचक्र सं. 336-ए (दक्षिणी हिस्सा), सेक्टर ए  
गश्चरिया सेक्टर 04, शास्त्रीनगर, जोधपुर।

## :::- भवन निर्माण आदेश :::-

विषय :- आवासीय भवन निर्माण प्रयोजनार्थ स्वीकृति हेतु।  
प्रसंग - आपका आवेदन पत्र दिनांक 28.02.2020।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रस्तावित गठित भवन निर्माण अनुमति समिति की बैठक दिनांक 27.07.2020 के प्रस्ताव संख्या 15 के अन्तर्गत अनुमोदित मानचित्र के अनुसार आवासीय भवन निर्माण स्वीकृति निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1 बालकॉनी व छप्पे का निर्माण नहीं करेगे।
- 2 प्लोसी की बिल्डिंग लाईन को ज्यादा रखेंगे।
- 3 मानचित्र एवं प्लेट में यदि चतुर्लरी दशमिकी गई है तो उसे खुली रखेंगे।
- 4 खालसा भूमि पर किसी प्रकार की तामीर का निर्माण नहीं करेगे।
- 5 स्वामित्व के संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में यह निर्माण स्वीकृति शून्य होगी।
- 6 वर्षा जल संग्रहण संरचना का निर्माण करना अनिवार्य होगा।
- 7 मविध्य में बकाया राशि निकालने पर जमा करवाने को बाध्य रहेगे।
- 8 भवन में नियमानुसार अग्नि शमन सुख्या व्यवस्था करनी होगी।
- 9 दी गई भवन निर्माण स्वीकृति के विपरीत निर्माण/उपयोग होने पर यह निर्माण स्वीकृती शून्य मानी जायेगी।
- 10 भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु दी गई अनुज्ञा को स्वामित्व के प्रमाण के रूप में नहीं माना जायेगा।
- 11 निर्माण स्थल पर 4'x4' के बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र व आदेश की प्रति को प्रदर्शित करना होगा एवं निर्माण पूर्ण साख्तानी पूर्णक करना होगा, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर नगर निगम उत्तरदायी नहीं होगा।
- 12 भवन निर्माणकर्ता द्वारा स्वीकृत नक्शों के अनुरूप निर्माण किये जाने के दौरान किसी भी प्रकार का मलबा अथवा बिल्डिंग मेटेरियल सड़क पर नहीं डाला जायेगा। यदि किसी भी प्रकार का मलबा/बिल्डिंग मेटेरियल भू-स्वामी द्वारा सड़क पर डाला जाता है तो भवन निर्माणकर्ता को व्यक्तिगत सुनुवाई का अवसर देने के पश्चात् पालिका द्वारा जारी निर्माण स्वीकृति को निरस्त की जा सकेगी।
- 13 भवन निर्माणकर्ता द्वारा 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के मूलचक्र पर निर्माण आरम्भ किये जाने से पूर्व साईट पर कम से कम एक शौचालय का निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा तथा शौचालय की संख्या प्रति 10 श्रमिक पर एक शौचालय निर्माण करना आवश्यक होगा। ताकि निर्माण कार्य में लगे मजदूर उसका प्रयोग कर सकें। यदि भवन निर्माणकर्ता द्वारा शौचालय का निर्माण नहीं किया जाता है तो निर्माण स्वीकृति को निरस्त किया जा सकेगा।
- 14 यह आदेश भवनीय उच्च न्यायालय में निर्णित वाद गुलाब कोठारी बनाम राज्य सरकार के निर्णयधीन रहेगा तथा वर्तमान-मविध्य में मास्टर प्लान के अनुरूप नियम/उपनियमों को मानने के लिये सदैव बाध्य रहेगे।

यह स्वीकृति तीन वर्ष के लिये वैध है।

आवेदन शुल्क- 1,000/- जांच शुल्क- 5,925/- कुल राशि- 6,925/- जरिये रसीद संख्या 1026/4474 दिनांक 28.02.2020, भवन निर्माण शुल्क- 5,000/- वी.एस.यू.पी. शुल्क- 4,893/- मलबा शुल्क- 1,000/- विकास एवं संचालन शुल्क- 35,100/- भवन पूर्णता प्रमाण पत्र शुल्क- 7,340/- उपकर- 42,683/- मैटरसेन्ट लेवी- 3,51,000/- कुल राशि- 4,47,016/- जरिये रसीद संख्या 9069/6500 दिनांक 23.09.2020, सुरक्षा व अगमन राशि- 5,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/6503 दिनांक 23.09.2020, वर्षाजल संग्रहण व अग्निशमन मूकम्य रोश- 50,000/- जरिये रसीद संख्या 9069/6501 दिनांक 23.09.2020, बिना अनुमति निर्माण शक्ति- 2,15,781/- जरिये रसीद संख्या 9069/6502 दिनांक 23.09.2020 एवं यूडी कर- 14,702/- जरिये रसीद संख्या 9069/6514 दिनांक 23.09.2020 को निगम कोष में जमा कर दिये गये हैं, साथ ही आपको आदेशित किया जाता है कि 01 मई स्वीकृति के विपरीत निर्माण कार्य करने पर आपके विरुद्ध सजस्वान नगर पालिका अधिवेशन 2020 की धारा 194/236/245 के प्रावधान के तहत कार्यवाही की जायेगी। भवन निर्माण के पश्चात् मलबा उपकर पर पाया गया तो चुर्माणा के रूप में 10,000/- (असरे दस हजार रुपये) वसूल किये जायेंगे।

*(Handwritten Signature)*  
उपायुक्त

स्वीकृति का प्रकार	आवासीय निर्माण
अनुमत निर्माण	डी+2
कुल	592.50 वर्ग मीटर
शेष	अज्ञ - 30'
शेष	पार्श्व व - 15'
शेष	पार्श्व शि - 15'